

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 788]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016 ⁄चैत्र 11, 1938	
No. 788]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11, 1938	

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का.आ. 1275(अ).— निम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के मंडया जिले के पांडवपुरा नागामंगला और कृष्णारजापेट ताल्लुकों में स्थित है और उत्तरी अक्षांश 12^0 37'35" से 12^0 44'38" उत्तरी और 12^0 41'00" से 12^0 43'59" पूर्वी और पूर्वी देशांतर 76^0 34'12" और 76^0 39'13" से 76^0 40'38" पूर्व के बीच स्थित है और 49.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हआ है ;

और, अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती वन और कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां जो शोरेया तुलुरा, अकाकिया लियोकोफोलिया, अकाकिया सुन्दरा, अल्विज़िया लेब्बेक, साइकस सरिकनेलिस, डलबेरगिया पैनिकुलाटा, डायोस्पाइरोस

1602 GI/2016 (1)

मेलानओक्सिलॉन, इमबलिका ऑफिसिनालिस, टरमिनालिया बेल्लेरिका, स्टेरेओस्पेरमम पेरसोनाटम, साइज़जियम क्यूमिनि, टरमिनालिया चेब्ला, टेरमिनालिया टोमेनटोसा टरमिनालिया पैनिक्लाटा, ज़िज़ाइफस स्पप. आदि हैं ;

और, अभयारण्य में महत्वपूर्ण जीव जन्तु जैसे तेंदुआ, भेड़िया, रीछ, चित्तीदार लकड़बग्घा, काला हिरण, भारतीय लोमड़ी, लघु पुच्छ वानर, भारतीय साही, बनबिलाव, चित्तीदार हिरण, बनैला सूअर, सामान्य नेवला, भारतीय मुसंग, कोबरा, विपर, करैत और भिन्न पक्षी प्रजातियों में सम्मिलित बटेर, तीतर, मयूर, बैबलर्स, बूलबूल, बुशचैट, मिक्षकाभक्षी, क्लोरोपसिस, बत्तख, मक्खीमार, मिनिवेट, मैना और मृनिया आदि पाये जाते हैं;

और, मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 0.4 किलोमीटर से 4.75 किलोमीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.4 किलोमीटर से 4.75 किलोमीटर तक के विस्तार वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन 129.058 वर्ग किलोमीटर है । सीमाओं का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कर्नाटक राज्य के मंडया जिले के कृष्णारजापेट, नागामंगला और पांडवपुरा ताल्लुकों में 74 ग्राम हैं और 129.058 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।
- (3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।
 - (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-III में दी गई है ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्मोदित होगी ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।
- (4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;

- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग ।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्निलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्घ विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 10, 16, 22, 28 और 31 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात्

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और स्दढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघ् उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुजात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अन्त्पादक कृषि क्षेत्रों में प्नः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
- (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अन्जात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

- (iii) आंचितिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अन्जात किया होगा ।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अन्सरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अन्सरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिसाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुजात नहीं किया जाएगा ।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अन्जात नहीं किया जाएगा ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां		
(1)	(2)	(3)		
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप			
(1)		(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन		
	उनको तोड़ने की इकाइयां ।	और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेल् आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या		

		मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुजात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे;
		विनियमित क्रियाकलाप
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुजात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुजात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी ।

(ख) प्रदूषण उत्पन्न म करने वाले लायु उद्योगी से सार्वाध्य सोमनीय क्षियासलाया जिन्मय या वित्तेयम, यदि कोई लायू हो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमार होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से उत्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यविष्य की सदावी आवश्यकता के लिए सिनेमांण अनुजात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण किमानकताप आंचितिक महायोजना के अनुस्य होंगे । (12) वृक्षों की कटाई । (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के विना वन, सरकारी या राज्य अभिम वर्गो में किही वृक्षों की कटाई गई होंगे । (ह) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन काण गर नियमों के उपयोग के उत्पार सिनियमित होगी । (ह) अद्योगिक, वाणिज्यक जल संसायन की है । (ह) अद्योगिक, वाणिज्यक उपयोग के लिए सतही और भूमिनत जल का निष्कर्भण करिया होगी जिसके अंतर्गत किनो पारिमा में वह निष्कर्भण करिया, भी है । (ह) अद्योगिक, वाणिज्यक उपयोग के लिए सतही और भूमिनत जल का निष्कर्भण के लिए सतही था । (ह) विद्युत केव्हर्त, पारेषण लाइनों और दूसचार टावरों का परिनिर्माण । (ह) विद्युत केव्हर्त, पारेषण लाइनों और दूसचार टावरों का परिनिर्माण । (ह) विद्युत केव्हर्त, पारेषण लाइनों और दूसचार टावरों का परिनिर्माण । (ह) विद्युत काव्हर्त, पारेषण लाइनों और (क) भूमिनत केव्ह विद्युत लाइनों के किसी भावी विद्युत के हिए । (ह) विद्युत काव्हर्मों के किसी किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच दुक्कात विद्युत काव्हमों के किसी भावी विद्युत काव्हमों के किसी भावी विद्युत काव्हमों के किसी परिप । (ह) विद्युत काव्हर्मों का के विद्युत्मान परिपर्य काम्याय निर्मेष्य समायात निर्मेषण लाईन के दो टावरों के बीच दुक्कात विद्युत समायात निर्मेषण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार कृत्ते सुद्ध करना। (ह) पर हो में व्यावक्ष व्याव्यात का संवरण । (ह) विद्युत करना के विद्युत समायात निर्मेषण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार कृते सुद्ध करना। (ह) विद्युत करना के विद्युत करना और अनुसार करना और अव्यव्यव्य समायात निर्मेषण और अपीन विनियमित हों			
ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्वादी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुनात होंगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकताप आंचलिक महायोजना के अनुरुष होंगे । (12) चृक्षों की कटाई । (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किही वृक्षों की कटाई नहीं होंगी । (13) वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संवयन भी हैं । (14) विदयुत केवलों, पारेषण लाइनों और दूसियार टावरों का परिनिर्माण । (14) विदयुत केवलों, पारेषण लाइनों और दूसियार टावरों का परिनिर्माण । (15) विदयुत केवलों, पारेषण लाइनों और दूसियार टावरों का परिनिर्माण । (16) विदयमान परिनर्माण । (17) सेटलों और लांज के विद्यमान परिसर्ग में में निजी के नियान सहिए । (18) विदयमान सङकों को चीड़ा करना और उन्हें सुक्द करना। । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (17) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (18) विदयमान सहकों को चीड़ा करना आर इन्हें सुक्द करना। । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान्यात का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान्य में स्रोन के लिए विस्थमान के लिए विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान्य में स्रोन के निर्माण आर्थ अधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी व्रल्लों प्रतान्य में स्रोन के निर्माल । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी व्रल्लों के लिनायों में स्रोन के निरम्मत व्रल्लों के लिए विन्यमित होंगे । (20) प्रकृतिक जल निकारों या भूमी क्षेत्र में उपयोश्च के लिए विद्यमान विनियमित होंगे । (20) प्रकृतिक जल निकारों या भूमी क्षेत्र में अपयोश्च के भी तिन्यमित होंगे । (21) प्रकृतिक जल निकारों या भूसी क्षेत्र में अपयोश्च के भी तिन्यमित होंगे । (22) प्रकृतिक जल निकारों या भूसी क्षेत्र में अपयोश्च के लिए विद्यमान विनियमित होंगे । (22) प्रकृतिक जल निकारों या भूसी क्षेत्र में अपयोश के लिए विद्यमान विनियमीत होंगे । (22) प्रकृतिक जल निकारों या भूसी क्षेत्र में अपयोश के लिए विद्यमान विनियमीत होंगे ।			=
सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वर्जो में किही वृक्षों की कटाई नहीं होणी । (छ) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (त) वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू कि भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और धरेल खपत के लिए जल का निष्कर्षण सार्वी और भूमिगत जाता अनुजात होगा । (छ) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियममक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुजा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भू-जल का विकय अनुजात नहीं होगा । (ध) जल के संद्र्षण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । (व) सतही या भू-जल का विकय अनुजात नहीं होगा । (ध) जल के संद्र्षण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । (व) विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और (ख) विद्युत लाइने यदि भूमि से उपर < 20 ढाल के लिए 20 फुट की उंचाई पर होना चाहिए और > 30 डिग्री से कम ढाल के लिए भूमि से 30 फुट की उंचाई पर होना चाहिए । (ग) धरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी विछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (॥) से तो से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव विद्युत लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव विदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (ा) से विद्युत लाइन के विद्युत लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव विदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (ा) पहिंचों और लाँज के विद्युमान परिसरों में बाड लगाना । (ा) पित्रुत अप्रोतियों को लाना । (ा) पहिंचों के अधीन विनियमित होंगे । (ा) पहांडी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । (ा) विदियों के अधीन विनियमित होंगे । (ा) पहांडी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । (ा) विदियों के अधीन विनियमित होंगे । (ा) पहांडी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । (ा) विदियों के अधीन विनियमित होंगे । (ा) विदियों के अधीन विनियमित होंगे ।			ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक
विद्यमा के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी (13) वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और धरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुजात होगा (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुजा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी हैं। (ग) सतही या भू-जल का विक्रय अनुजात नहीं होगा (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी हैं, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी हैं, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी हैं, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे (ख) विद्यमान घरेलू लाइन- यदि भूमि से उपर < 20 डाल के लिए 20 फुट की उचाई पर होना चाहिए । (श) घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी चारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी चारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी चारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी चारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक विनियमित होंगे (16) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन विजियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विजियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विजियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकारों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिसींव के पुनर्यंत्रण को प्रोत्साहित करना और असमल या ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	(12)	वृक्षों की कटाई ।	सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं
भू-जल संचयन भी हैं । किष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुजात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुजा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भू-जन का विक्रय अनुजात नहीं होगा । (घ) जन के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । (विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । (क) भूमिगत केबल बिख्यए जाने को प्रोत्साहित करना। दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । (विद्यमान घरेल् लाइन- यदि भूमि से उपर < 20 ढाल के लिए 20 फुट की उंचाई पर होना चाहिए । (ग) घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी बिखाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (विद्यमान सइकों को चौंडा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार उन्हें सुद्द करना। (16) विद्यमान सइकों को चौंडा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिस्रांव के पुनर्घवण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।			•
(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे । (14) विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । (क) भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित करना। (द) विद्यमान घरेलू लाइन- यदि भूमि से ऊपर < 20 ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और > 30 डिग्री से कम ढाल के लिए भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए । (ग) घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (15) होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाइ लगाना । (16) विद्यमान सड़कों को चौंडा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनयमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनयमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चन्नण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	(13)		निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुजात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुजा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी
(ख) विद्यमान घरेलू लाइन- यदि भूमि से उपर < 20 ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और > 30 डिग्री से कम ढाल के लिए भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए । (ग) घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों के किसी भावी विछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (15) होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाइ लगाना । (16) विद्यमान सड़कों को चौंडा करना और उन्हें सुदृढ़ करना। (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।			(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के
तिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु से कम से कम 15 मीटर पर होना चाहिए । (15) होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाइ लगाना । (16) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	(14)		(ख) विद्यमान घरेलू लाइन- यदि भूमि से ऊपर < 20 ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और > 30 डिग्री से कम ढाल के लिए भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए ।
में बाइ लगाना । (16) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । (18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्ट का निपटान । ठोस अपशिष्ट का निपटान । ।			लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए । (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के दो टावरों के बीच झुकाव
उन्हें सुदृढ़ करना। होंगे (17) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे (18) विदेशी प्रजातियों को लाना लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्ट का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा	(15)		लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18) विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।	(16)	_	
(19) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।	(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20) प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस उपचारित बहिर्साव का निस्सारण और अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
उपचारित बहिर्साव का निस्सारण और अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21) वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	(20)	उपचारित बहिर्साव का निस्सारण और	•
	(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	T	
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु	" 3
	उद्योग।	उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से
		औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत
		प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुजात किया जाएगा ।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	का संग्रहण ।	, and the second
(24)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	पॉलीथिन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
(27)	स्थानीय सम्दायों द्वारा चल रही कृषि	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां,	
	पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(29)	जैविक खेती ।	सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	
(31)	क्टीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	कारीगर आदि भी हैं।	
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
	1	

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(ক)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर	अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(ঘ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(₹)	क्षेत्रीय अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(च)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ন্ড)	मंडया जिले का उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
(ज)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मंडया	सदस्य
(朝)	विधानसभा सदस्य, मेलूकोटे	सदस्य
	(विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक से कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति सहित अन्य बातों के साथ-साथ स्संगत अनुमोदन, यदि कोई हो	

की अभिप्राप्ति के अध्यधीन)

(ञ) उप वन संरक्षक वन्य जीव प्रभाग, मैसूर

सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन :

- (2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अन्पालन को मानीटर करेगी ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सिम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्घ विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्घ विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्घ पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 6. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/133/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध-I</u>

उत्तर:

सीमा के. आर. पेटे तालुक को पार करके दुग्गानाहल्ली के निकट राज्य राजमार्ग 85 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से आरंभ होकर और सड़क के साथ उत्तर पूर्व मुड़कर और के. आर. पेटे तालुका के दुग्गानाहल्ली ग्राम को छूती है और सड़क के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और बोप्पालाहल्ली ग्राम पहुँचती है । उसके बाद रेखा सड़क के पूर्व दिशा की ओर और नागामंगला तालुका को पार करके थिरुगानाहल्ली को छूती है और रेखा पूर्व दिशा की ओर सड़क के साथ जाती है और नागामंगला तालुका को पार करके बोगादी पहुँचती है और पूर्व दिशा की ओर जाती है और कारीक्याथानाहल्ली ग्राम के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु छूती है ।

पूर्वः

इसके बाद नागामंगला तालुका कारीक्याथानाहल्ली ग्राम के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु से रेखा सड़क के साथ दिक्षिण की ओर मुड़कर और नागामंगला तालुका के कानागाहहल्ली ग्राम, अलपाल्ली ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और मुरारजी स्कूल के पार के निकट से होते हुए सड़क के साथ जाती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दिक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और सोमानाहल्ली ग्राम से होते हुए और चिन्या ग्राम को छूती है और पूर्व की ओर मुड़कर और एस एच-19 को छूती है और इसके बाद एस एच-19 के साथ मुड़कर दिक्षण दिशा की ओर जाती है और नागामंगला तालुक के रघुरामपुरा ग्राम गेट के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और रघुरामपुरा ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के पश्चिम दिशा की ओर जाती है और दोद्दाघाद्दा सरकारी स्कूल, गोद्दाकहाल्ली और पांडवापुरा तालुक के कादलागेरे ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दिशा में जाती है और तक्षमीपुरा ग्राम से होते हुए, और होसाकेरे टैंक को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा में जाती है और दिक्षण, पश्चिम और दिशा की ओर मुड़कर और होसाकेरे टैंक को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा में जाती है और दिक्षण, पश्चिम और दिक्षण दिशा की ओर मुड़कर मेलुकोटे चिनाकुराली सड़क को छूती है। इसके बाद रेखा धानुशकोटी पहाड़ी की पहाड़ी के साथ दिक्षण दिशा की ओर मुड़कर और हाला से होते हुए और सड़क पहुँचती है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और सोमावरपेट कोप्पलु, होसाल्ली ग्राम से होते हुए और पांडवापुरा तालुक के नारायणापुरा सर्कल को छूती है।

दक्षिण:

इसके बाद पांडवापुरा तालुक के नारायणापुरा सर्कल से रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और नारायणापुरा ग्राम से होते हुए और नाल्लेनाहल्ली ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दिक्षण दिशा की ओर मुड़कर नाल्लेनाहल्ली-थानदेकेरे सड़क के पार के निकट त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और के. आर. पेटे तालुक के कोदीहल्ली ग्राम पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ दिक्षण पश्चिम दिशा में मुड़कर और के. आर. पेटे तालुक के राजाघाट्टा ग्राम पहुँचती है।


पश्चिम:

इसके बाद के. आर. पेटे तालुका के राजाघाटा ग्राम से और सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर गोदागानाहल्ली ग्राम, सिरिबल्लेनाहल्ली ग्राम, चौदाघाट्टा ग्राम, हेम्मादिहल्ली ग्राम से होते हुए के. आर. पेटे तालुक के वसनथापुरा ग्राम पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और मैलनाहल्ली ग्राम चैनल पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और रायासमुद्रा ग्राम को छूती है और मुरुगानाकोप्पलु ग्राम गेट पहुँचती है। इसके बाद रेखा माल्लेनाहल्ली ग्राम से होते हुए सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कायाथानाहल्ली-सिद्दाघाट्टा सड़क के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा के. आर. पेटे तालुका के कालाबैराय्याना कोप्पलु, कायाथानाहल्ली और जगनाकेरे सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और आरंभिक बिन्दु पहुँचती

है।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध II मेलुकोटे वन्यजीव अभयारण्य सीमा पे मुख्य बिन्दु (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर	
नानापत्र आङ् डा		(दशमलव डिग्री)	
1.	12.752954°	76.583131°	
2.	12.728970°	76.614564°	
3.	12.735976°	76.649119°	
4.	12.596631°	76.601711°	
5.	12.688379°	76.594488°	
6.	12.701499°	76.560116°	
7.	12.733557°	76.566288°	
8.	12.750490°	76.665215°	
9.	12.708385°	76.671296°	
10.	12.679210°	76.658123°	
11.	12.710792°	76.652688°	
12.	12.735959°	76.658102°	

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पे मुख्य बिन्दु (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर
आई डी		(दशमलव डिग्री)
1.	12.745071°	76.560477°
2.	12.758649°	76.584725°
3.	12.761810°	76.616389°
4.	12.756575°	76.645667°
5.	12.762583°	76.669428°
6.	12.722726°	76.676478°
7.	12.718965°	76.693913°
8.	12.707471°	76.693358°
9.	12.692277°	76.689430°
10.	12.676834°	76.674788°
11.	12.674752°	76.670684°

मानचित्र	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर
आई डी		(दशमलव डिग्री)
12.	12.670379°	76.662762°
13.	12.679226°	76.654450°
14.	12.674103°	76.646487°
15.	12.660964°	76.642622°
16.	12.635100°	76.643809°
17.	12.617473°	76.641187°
18.	12.617755°	76.631507°
19.	12.605764°	76.628036°
20.	12.606983°	76.611096°
21.	12.601251°	76.611279°
22.	12.594946°	76.592292°
23.	12.608367°	76.578052°
24.	12.621272°	76.577978°
25.	12.648652°	76.576856°
26.	12.655251°	76.580102°
27.	12.660777°	76.586240°
28.	12.676727°	76.588560°
29.	12.677264°	76.575323°
30.	12.694144°	76.572365°
31.	12.697178°	76.56701°
32.	12.707414°	76.548150°
33.	12.722932°	76.541391°

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	अवस्थिति	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
1.	अयितानाहल्ली	नागामंगला	18.82	12.762075°	76.660557°	आंशिक ग्राम सीमा
2.	रंगानाथापुरा	कृष्नाराजपेट	48.82	12.757861°	76.584711°	
3.	करिक्याथानाहल्ली	नागामंगला	40.36	12.759151°	76.665797°	
4.	तिरुगानाहल्ली	नागामंगला	505.79	12.754986°	76.612358°	
5.	सीगेहोसुर	नागामंगला	70.16	12.762686°	76.625372°	पूर्ण ग्राम सीमा
6.	बोप्पानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	416.00	12.753600°	76.593417°	आंशिक ग्राम सीमा
7.	बोगादी	नागामंगला	266.65	12.750705°	76.650712°	आंशिक ग्राम सीमा
8.	मंच <u>ी</u> पटना	नागामंगला	69.95	12.754670°	76.660237°	पूर्ण ग्राम सीमा
9.	कल्लेनाहल्ली	नागामंगला	198.94	12.754609°	76.640806°	आंशिक ग्राम सीमा
10.	दुग्गानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	151.54	12.750203°	76.574838°	आंशिक ग्राम सीमा
11.	श्री रमानाहल्ली	नागामंगला	143.00	12.744508°	76.553540°	पूर्ण ग्राम सीमा

मानचित्र आई डी	अवस्थिति	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
12.	उया नाहल्ली	नागामंगला	93.66	12.752263°	76.672142°	आंशिक ग्राम सीमा
13.	चिक्काहारानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	13.74	12.733166°	76.551630°	आंशिक ग्राम सीमा
14.	कोरोवनागुन्दी	नागामंगला	340.00	12.741201°	76.608480°	पूर्ण ग्राम सीमा
15.	हिन्दासहल्ली	नागामंगला	418.50	12.745173°	76.625213°	पूर्ण ग्राम सीमा
16.	कोटागहल्ली	कृष्नाराजपेट	336.90	12.740438°	76.561322°	पूर्ण ग्राम सीमा
17.	मदाहल्ली	नागामंगला	338.20	12.736588°	76.638389°	पूर्ण ग्राम सीमा
18.	बल्लेनाहल्ली	नागामंगला	160.93	12.737036°	76.655372°	पूर्ण ग्राम सीमा
19.	कनगोनाहल्ली	नागामंगला	147.56	12.734533°	76.672344°	आंशिक ग्राम सीमा
20.	जगिनाकेरे	कृष्नाराजपेट	7.46	12.726243°	76.545735°	आंशिक ग्राम सीमा
21.	क्याटानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	528.50	12.714321°	76.546541°	आंशिक ग्राम सीमा
22.	अलपाहल्ली	नागामंगला	496.00	12.715944°	76.672994°	आंशिक ग्राम सीमा
23.	ना	कृष्नाराजपेट	41.60	12.715432°	76.579514°	पूर्ण ग्राम सीमा
24.	गुजागोनाहल्ली	पांडवापुरा	95.23	12.720605°	76.655698°	पूर्ण ग्राम सीमा
25.	सिंगापुरा	पांडवापुरा	164.40	12.672729°	76.595830°	पूर्ण ग्राम सीमा
26.	सोमानाहल्ली	नागामंगला	38.62	12.718316°	76.691684°	आंशिक ग्राम सीमा
27.	होन्नेनाहल्ली	नागामंगला	52.83	12.714250°	76.687219°	आंशिक ग्राम सीमा
28.	अंकानाथापुर	कृष्नाराजपेट	620.20	12.704993°	76.567955°	आंशिक ग्राम सीमा
29.	होनाकेरे	नागामंगला	2.11	12.711591°	76.694370°	आंशिक ग्राम सीमा
30.	थाम्मदिहल्ली	कृष्नाराजपेट	7.92	12.714294°	76.546573°	आंशिक ग्राम सीमा
31.	तालेकेरे	पांडवापुरा	198.40	12.704555°	76.647829°	पूर्ण ग्राम सीमा
32.	पगादे काल्लाहल्ली	पांडवापुरा	269.30	12.701609°	76.638344°	पूर्ण ग्राम सीमा
33.	चमालापुर	कृष्नाराजपेट	197.80	12.703404°	76.600712°	पूर्ण ग्राम सीमा
34.	अदविकाहे	नागामंगला	211.89	12.705058°	76.678008°	पूर्ण ग्राम सीमा
35.	चिन्या	नागामंगला	157.00	12.712558°	76.701877°	आंशिक ग्राम सीमा
36.	माल्लेनाहल्ली	कृष्नाराजपेट	3.00	12.698638°	76.561946°	आंशिक ग्राम सीमा
37.	रयासामुद्रा	कृष्नाराजपेट	215.16	12.695632°	76.573611°	आंशिक ग्राम सीमा
38.	श्रीरघुरामापुरा	नागामंगला	254.90	12.692340°	76.688980°	आंशिक ग्राम सीमा
39.	रामपुरा	पांडवापुरा	165.40	12.695382°	76.633122°	पूर्ण ग्राम सीमा
40.	मदिगाराहोसाहल्ली	कृष्नाराजपेट	328.90	12.683960°	76.597937°	पूर्ण ग्राम सीमा
41.	गुरुदापुरा	पांडवापुरा	100.90	12.686691°	76.672401°	पूर्ण ग्राम सीमा
42.	बी कोदागाहल्ली	पांडवापुरा	219.60	12.681889°	76.628824°	पूर्ण ग्राम सीमा
43.	कनागानाहल्ली	पांडवापुरा	169.30	12.686508°	76.645513°	पूर्ण ग्राम सीमा
44.	कोदीहल्ली	कृष्नाराजपेट -	2.29	12.598459°	76.593783°	आंशिक ग्राम सीमा
45.	मेलकोटे	पांडवापुरा	261.70	12.663411°	76.649234°	आंशिक ग्राम सीमा
46.	बाला-घाट्टा	पांडवापुरा	186.17	12.683061°	76.637275°	पूर्ण ग्राम सीमा
47.	माइलानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	184.99	12.680982°	76.581212°	आंशिक ग्राम सीमा
48.	गोटाकाहल्ली	नागामंगला	114.47	12.685755°	76.680486°	आंशिक ग्राम सीमा

मानचित्र आई डी	अवस्थिति	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
49.	हरालाहल्ली	कृष्नाराजपेट	38.37	12.678753°	76.576131°	आंशिक ग्राम सीमा
50.	सिंगापुर	कृष्नाराजपेट	176.10	12.629562°	76.614308°	पूर्ण ग्राम सीमा
51.	दोद्दीघाट्टा	पांडवापुरा	52.01	12.675564°	76.670441°	आंशिक ग्राम सीमा
52.	वसंथापुरा	कृष्नाराजपेट	17.89	12.678870°	76.592669°	पूर्ण ग्राम सीमा
53.	मदेनाहल्ली	पांडवापुरा	181.60	12.672619°	76.636993°	पूर्ण ग्राम सीमा
54.	करथाहल्ली	कृष्नाराजपेट	69.29	12.670145°	76.592453°	आंशिक ग्राम सीमा
55.	नारानापुरा	पांडवापुरा	178.20	12.673155°	76.628134°	पूर्ण ग्राम सीमा
56.	कदालागेरे	पांडवापुरा	44.33	12.667389°	76.666629°	आंशिक ग्राम सीमा
57.	हेम्मादाहल्ली	कृष्नाराजपेट	264.20	12.658782°	76.593735°	पूर्ण ग्राम सीमा
58.	चवादिघाहा	कृष्नाराजपेट	78.17	12.656669°	76.584929°	आंशिक ग्राम सीमा
59.	हुलीगेरे	पांडवापुरा	103.80	12.640648°	76.637688°	आंशिक ग्राम सीमा
60.	सुरबील्लेनाहल्ली	कृष्नाराजपेट	203.80	12.646409°	76.582585°	आंशिक ग्राम सीमा
61.	होसाहल्ली	पांडवापुरा	406.00	12.629232°	76.626863°	आंशिक ग्राम सीमा
62.	नवालुमारानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	67.887	12.637849°	76.584586°	आंशिक ग्राम सीमा
63.	चहामगेरे	कृष्नाराजपेट	427.70	12.611039°	76.597974°	आंशिक ग्राम सीमा
64.	चिट्टानाहल्ली	पांडवापुरा	89.11	12.624619°	76.644130°	आंशिक ग्राम सीमा
65.	गुदागानाहल्ली	कृष्नाराजपेट	303.70	12.625258°	76.580914°	आंशिक ग्राम सीमा
66.	चोकनाहल्ली	पांडवापुरा	42.55	12.614969°	76.630076°	आंशिक ग्राम सीमा
67.	मरामाहल्ली	पांडवापुरा	262.50	12.620366°	76.614395°	पूर्ण ग्राम सीमा
68.	वोलागेरेदेवारानाहल्ली	पांडवापुरा	91.97	12.611632°	76.623019°	पूर्ण ग्राम सीमा
69.	नल्लेनाहल्ली	पांडवापुरा	298.52	12.605880°	76.610072°	आंशिक ग्राम सीमा
70.	राजाघाट्टा	कृष्नाराजपेट	127.84	12.614529°	76.584955°	पूर्ण ग्राम सीमा
71.	नारायनपुरा	पांडवापुरा	66.98	12.606743°	76.626126°	आंशिक ग्राम सीमा
72.	कोदाबा	पांडवापुरा	19.90	12.599276°	76.603192°	आंशिक ग्राम सीमा
73.	नाल्लेनाहल्ली	पांडवापुरा	29.33	12.692499°	76.640454°	पूर्ण ग्राम सीमा
74.	सिंगापुर	पांडवापुरा	188.50	12.713925°	76.640890°	पूर्ण ग्राम सीमा
		कल	12905.807			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।

- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

S.O. 1275(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate

Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Melukote Wildlife Sanctuary is situated in Pandavapura, Nagamangala & Krishnarajapet Taluks of Mandya districts in the State of Karnataka and lies between the North Latitudes 12° 37' 35" to 12° 44' 38" N and 12° 41' 00" to 12° 43' 59" N and between the East Longitudes 76° 34' 12" and 76° 39' 00" to and 76° 39' 13" to 76° 40' 38" E and is spread over an area of 49.82 square kilometers;

And whereas, the sanctuary has dry deciduous forests and some of the important tree species of which are Shorea tulura, Acacia leucophloea, , Acacia sundra, Albizzia lebbek, , Cycas circinalis, Dalbergia paniculata, Diospyros melanoxylon, Emblica officinalis, Terminalia bellerica, Stereospermum personatum, Syzygium cumini, Terminalia Chebula, terminalia Tomentosa Terminalia paniculata, Zizyphus Spp etc.;

And whereas, the important fauna found in the sanctuary are Leopard, Wolf, Sloth Bear, Striped Hyenas, Black buck, Indian Fox, Bonnet macaque, Indian Porcupine, Jungle Cat, Pangolins, Spotted deer, Wild boar, Common Mongoose, Small Indian Civet, Cobras, Vipers, Kraits, and different bird species including Quails, Partridges, Peafowl, Babblers, Bulbuls, Bush chats, Bee eaters, Chloropsis, Doves, Flycatchers, Minivets, Mynas, and Munias etc.;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the Melukote Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.4 kilometers to 4.75 kilometers from the boundary of Melukote Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Melukote Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-**(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 0.4 kilometers to 4.75 kilometers from the boundary of Melukote Wildlife Sanctuary and spread over an area of 129.058 square Kilometers. The description of boundaries is given in **Annexure I**.
- (2) The Eco-sensitive Zone includes 74 villages in Krishanrajapet, Nagamangala and Pandavapura taluks of Mandya District in Karnataka and spread over an area of 129.058 square kilometers.
- (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II**;
- (2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (ix) State Pollution Control Board,
- (x) Irrigation
- (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

 Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Ecosensitive Zone;
- (ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time:
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial Units.-**(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
Prohibited Activ	ities			
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited in the Ecosensitive Zone except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.		
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.		
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.		
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		

7.	Discharge of untreated effluents and solid	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
	waste in natural water bodies or land area.			
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
9	Establishment of wood based industry	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided further that the existing wood based industry may		
		continue as per law.		
Regulated Activi				
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.		
		However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines		
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer:		
		Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any,		
		with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be		
		in conformity with the Zonal Master Plan.		
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;		
		(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.		
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;		
		(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;		
		(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.		
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling; (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground; (c) For any fitting laying of sleating lines for the domestic numbers.		
		(c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground;(d)For any transmission line more than 11 KV, the "sag" point between the two towers should be at least 15 meters from the		
		ground.		
15.	Fencing of existing premises of hotels and	Regulated under applicable laws.		

	lodges.			
16.	Widening and strengthening of existing roads.	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.		
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.		
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.		
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.		
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.		
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.		
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.		
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.		
24.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.		
25.	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.		
26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.		
Promoted Activit	ties			
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies and dairy farming.	Permitted under applicable laws.		
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
29.	Organic farming	Shall be actively promoted		
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc; to be promoted		

- **5. Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
 - (a) The Regional Commissioner, Mysuru Region, Mysuru Chairman.
 - (b) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member.
 - (c) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member.
 - (d) Representative of Non-governmental Organisation working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case -Member.
 - (e) The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board Member.
 - (f) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case Member.
 - (g) Deputy Commissioner or his representative Mandya District, Member.
 - (h) The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Mandya Member.
 - (i) Member of Legislative Assembly, Melukote Member.

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

(j) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore - Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/133/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Boundary description of the eco-sensitive zone around Melukote Wildlife Sanctuary.

North:

The boundary begins from Tri-junction point of State Highway 85 near Dugganahalli cross of K.R.Pete Taluk and turns north east along the road and touches the Dugganahalli village of K.R. Pete Taluk and moving towards north east along the road and reaches the Boppanahalli village. Then line runs east direction on the road and touches the Thiruganahalli cross of Nagamangala Taluk and the line passes along the road towards east direction and reaches Bogadi cross of Nagamangala Taluk and runs towards east direction and touches the tri-junction point near Karikyathanahalli village.

East:

Then from tri-junction point near Karikyathanahalli village Nagamangala Taluk the line moves towards south along the road and passes through Kanagahahalli village, Alpalli village of Nagamangala taluk. Then line turns towards east direction and passes through along the road passes through near Murarji School cross. The line turn towards south direction along the road and passes through Somanahalli village and touches the Chinya village and move towards east and touches the SH-19 and then move along the SH-19 towards south direction and reaches the tri-junction of point of Raghurampura village gate of Nagamangala Taluk. Then the line turns west direction on the village road and touches the Raghurampura village. Then the line runs towards south west direction along the road and passes though Gottakahalli village, Doddaghatta Govt. school and Kadalagere village of Pandavapura Taluk. Then line moves towards south west direction along the road and passes through Lakshmipura village, and touches the Hosakere Tank. Then line runs in west direction along the road and turns towards south, west and south direction and touches the Melukote Chinakurali road. Then the line moving towards south direction along the foothill of the Dhanushkoti Hill and passes along the halla and reaches road then turns to west

direction and passes through Somavarpete Koppalu, Hosalli village and touches the Narayanapura Circle of Pandavapura Taluk

23

South:


Then from Narayanapura circle of Pandavapura Taluk the line turns towards west direction along the road and passes through Narayanapura village and touches Nallenahalli village. Then line turns south direction along the road reaches the tri-junction point near Nallenahalli-Thandekere road cross. Then line turns west direction along the road and reaches the Kodihalli village of K.R. Pete Taluk. Then line turns in south west direction along the road and reaches Rajaghatta village of K.R.Pete Taluk.

West:

Then from Rajaghatta village of K.R. Pete Taluk and turns towards north direction along the road and passes through Gudaganahalli village, Sirbillenahalli village, Chowdaghatta village, Hemmadihalli village the reaches the Vasanthapura village of K.R. Pete Taluk. Then the line turns west direction along the road and reaches the Mailnahalli village Channel. Then the line turns north direction along the road and touches the Rayasamudra village and reaches the Muruganakoppalu village gate. Then the line turns west direction along the road passes through Mallenahalli village and reaches the tri-junction point of Kyathanahalli- Siddaghatta road. Then the line turns towards north direction along the road Kalabairayyana Koppalu, Kyatanahalli and Jaganakere of K.R.Pete Taluk and reaches the Starting point.

ANNEXURE II

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:



Annexure II contd..

Key points (Global Positioning System Points) on the Melukote Wildlife Sanctuary boundary.

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	
1	12.752954°	76.583131°	
2	12.728970°	76.614564°	
3	12.735976°	76.649119°	
4	12.596631°	76.601711°	
5	12.688379°	76.594488°	
6	12.701499°	76.560116°	
7	12.733557°	76.566288°	
8	12.750490°	76.665215°	
9	12.708385°	76.671296°	
10	12.679210°	76.658123°	
11	12.710792°	76.652688°	
12	12.735959°	76.658102°	

Key points (Global Positioning System Points) on the eco-sensitive zone boundary.

Map ID	Latitude	Longitude		
тар по	(Decimal degrees)	(Decimal degrees)		
1.	12.745071°	76.560477°		
2.	12.758649°	76.584725°		
3.	12.761810°	76.616389°		
4.	12.756575°	76.645667°		
5.	12.762583°	76.669428°		
6.	12.722726°	76.676478°		
7.	12.718965°	76.693913°		
8.	12.707471°	76.693358°		
9.	12.692277°	76.689430°		
10.	12.676834°	76.674788°		
11.	12.674752°	76.670684°		
12.	12.670379°	76.662762°		
13.	12.679226°	76.654450°		
14.	12.674103°	76.646487°		
15.	12.660964°	76.642622°		
16.	12.635100°	76.643809°		
17.	12.617473°	76.641187°		
18.	12.617755°	76.631507°		
19.	12.605764°	76.628036°		
20.	12.606983°	76.611096°		
21.	12.601251°	76.611279°		
22.	12.594946°	76.592292°		
23.	12.608367°	76.578052°		
24.	12.621272°	76.577978°		
25.	12.648652°	76.576856°		

Map ID	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
26.	12.655251°	76.580102°
27.	12.660777°	76.586240°
28.	12.676727°	76.588560°
29.	12.677264°	76.575323°
30.	12.694144°	76.572365°
31.	12.697178°	76.56701°
32.	12.707414°	76.548150°
33.	12.722932°	76.541391°

 ${\bf Annexure~III}$ List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	Remarks
1	Ayitanahalli	Nagamangala	18.82	12.762075°	76.660557°	Partial village
2	Ranganathapura	Krishnarajpet	48.82	12.757861°	76.584711°	Boundary
3	Karikyathanahalli	Nagamangala	40.36	12.759151°	76.665797°	
4	Tiruganahalli	Nagamangala	505.79	12.754986°	76.612358°	
5	Seegehosur	Nagamangala	70.16	12.762686°	76.625372°	Entire Village Boundary
6	Boppanahalli	Krishnarajpet	416.00	12.753600°	76.593417°	Partial village Boundary
7	Bogadi	Nagamangala	266.65	12.750705°	76.650712°	Partial village Boundary
8	Manchipatna	Nagamangala	69.95	12.754670°	76.660237°	Entire Village Boundary
9	Kallenahalli	Nagamangala	198.94	12.754609°	76.640806°	Partial village Boundary
10	Dugganahalli	Krishnarajpet	151.54	12.750203°	76.574838°	Partial village Boundary
11	Sri Ramanahalli	Nagamangala	143.00	12.744508°	76.553540°	Entire Village Boundary
12	Uyanahalli	Nagamangala	93.66	12.752263°	76.672142°	Partial village Boundary
13	Chikkaharanahalli	Krishnarajpet	13.74	12.733166°	76.551630°	Partial village Boundary
14	Koravanagundi	Nagamangala	340.00	12.741201°	76.608480°	Entire Village Boundary
15	Hindasahalli	Nagamangala	418.50	12.745173°	76.625213°	Entire Village Boundary
16	Kotagahalli	Krishnarajpet	336.90	12.740438°	76.561322°	Entire Village Boundary
17	Madahalli	Nagamangala	338.20	12.736588°	76.638389°	Entire Village Boundary
18	Ballenahalli	Nagamangala	160.93	12.737036°	76.655372°	Entire Village Boundary
19	Kanagonahalli	Nagamangala	147.56	12.734533°	76.672344°	Partial village Boundary
20	Jaginakere	Krishnarajpet	7.46	12.726243°	76.545735°	Partial village Boundary
21	Kyatanahalli	Krishnarajpet	528.50	12.714321°	76.546541°	Partial village Boundary

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	Remarks
22	Alpahalli	Nagamangala	496.00	12.715944°	76.672994°	Partial village Boundary
23	Na	Krishnarajpet	41.60	12.715432°	76.579514°	Entire Village Boundary
24	Gujagonahalli	Pandavapura	95.23	12.720605°	76.655698°	Entire Village Boundary
25	Singapura	Pandavapura	164.40	12.672729°	76.595830°	Entire Village Boundary
26	Somanahalli	Nagamangala	38.62	12.718316°	76.691684°	Partial village Boundary
27	Honnenahalli	Nagamangala	52.83	12.714250°	76.687219°	Partial village Boundary
28	Ankanathapur	Krishnarajpet	620.20	12.704993°	76.567955°	Partial village Boundary
29	Honakere	Nagamangala	2.11	12.711591°	76.694370°	Partial village Boundary
30	Thammadihalli	Krishnarajpet	7.92	12.714294°	76.546573°	Partial village Boundary
31	Talekere	Pandavapura	198.40	12.704555°	76.647829°	Entire Village Boundary
32	Pagade Kallahalli	Pandavapura	269.30	12.701609°	76.638344°	Entire Village Boundary
33	Chamalapur	Krishnarajpet	197.80	12.703404°	76.600712°	Entire Village Boundary
34	Advikatte	Nagamangala	211.89	12.705058°	76.678008°	Entire Village Boundary
35	Chinya	Nagamangala	157.00	12.712558°	76.701877°	Partial village Boundary
36	Mallenahalli	Krishnarajpet	3.00	12.698638°	76.561946°	Partial village Boundary
37	Rayasamudra	Krishnarajpet	215.16	12.695632°	76.573611°	Partial village Boundary
38	Sriraghuramapura	Nagamangala	254.90	12.692340°	76.688980°	Partial village Boundary
39	Rampura	Pandavapura	165.40	12.695382°	76.633122°	Entire Village Boundary
40	Madigarahosahalli	Krishnarajpet	328.90	12.683960°	76.597937°	Entire Village Boundary
41	Gurudapura	Pandavapura	100.90	12.686691°	76.672401°	Entire Village Boundary
42	B Kodagahalli	Pandavapura	219.60	12.681889°	76.628824°	Entire Village Boundary
43	Kanaganahalli	Pandavapura	169.30	12.686508°	76.645513°	Entire Village Boundary
44	Kodihalli	Krishnarajpet	2.29	12.598459°	76.593783°	Partial village Boundary
45	Melkote	Pandavapura	261.70	12.663411°	76.649234°	Partial village Boundary
46	Bala-Ghatta	Pandavapura	186.17	12.683061°	76.637275°	Entire Village Boundary
47	Mylanahalli	Krishnarajpet	184.99	12.680982°	76.581212°	Partial village Boundary
48	Gotakahalli	Nagamangala	114.47	12.685755°	76.680486°	Partial village Boundary
49	Haralahalli	Krishnarajpet	38.37	12.678753°	76.576131°	Partial village Boundary

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	Remarks
50	Singapur	Krishnarajpet	176.10	12.629562°	76.614308°	Entire Village Boundary
51	Doddighatta	Pandavapura	52.01	12.675564°	76.670441°	Partial village Boundary
52	Vasanthapura	Krishnarajpet	17.89	12.678870°	76.592669°	Entire Village Boundary
53	Madenahalli	Pandavapura	181.60	12.672619°	76.636993°	Entire Village Boundary
54	Karthahalli	Krishnarajpet	69.29	12.670145°	76.592453°	Partial village Boundary
55	Naranapura	Pandavapura	178.20	12.673155°	76.628134°	Entire Village Boundary
56	Kadalagere	Pandavapura	44.33	12.667389°	76.666629°	Partial village Boundary
57	Hemmadahalli	Krishnarajpet	264.20	12.658782°	76.593735°	Entire Village Boundary
58	Chavadighatta	Krishnarajpet	78.17	12.656669°	76.584929°	Partial village Boundary
59	Huligere	Pandavapura	103.80	12.640648°	76.637688°	Partial village Boundary
60	Surbillenahalli	Krishnarajpet	203.80	12.646409°	76.582585°	Partial village Boundary
61	Hosahalli	Pandavapura	406.00	12.629232°	76.626863°	Partial village Boundary
62	Navalumaranahalli	Krishnarajpet	67.887	12.637849°	76.584586°	Partial village Boundary
63	Chattamgere	Krishnarajpet	427.70	12.611039°	76.597974°	Partial village Boundary
64	Chittanahalli	Pandavapura	89.11	12.624619°	76.644130°	Partial village Boundary
65	Gudaganahalli	Krishnarajpet	303.70	12.625258°	76.580914°	Partial village Boundary
66	Chokanahalli	Pandavapura	42.55	12.614969°	76.630076°	Partial village Boundary
67	Maramahalli	Pandavapura	262.50	12.620366°	76.614395°	Entire Village Boundary
68	Volageredevaranahalli	Pandavapura	91.97	12.611632°	76.623019°	Entire Village Boundary
69	Nallenahalli	Pandavapura	298.52	12.605880°	76.610072°	Partial village Boundary
70	Rajaghatta	Krishnarajpet	127.84	12.614529°	76.584955°	Entire Village Boundary
71	Narayanapura	Pandavapura	66.98	12.606743°	76.626126°	Partial village Boundary
72	Kadaba	Pandavapura	19.90	12.599276°	76.603192°	Partial village Boundary
73	Nallenahalli	Pandavapura	29.33	12.692499°	76.640454°	Entire Village Boundary
74	Singapur	Pandavapura	188.50	12.713925°	76.640890°	Entire Village Boundary
		Total	12905.807			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
- 5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.